भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 1484

दिनांक 26.07.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल आपूर्ति योजनाएं

1484. श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पेयजल योजनाओं में केन्द्रीय हिस्सा कम कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) जी हाँ। मंत्रालय को नागालैंड सरकार से 2018-19 में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) ब्यौरा निम्नलिखित है :

(i) विस्वेना गांव, कोहिमा जिला को जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए परियोजना प्रस्ताव (1028.88 लाख रुपए का)।

(ii) सौर पंपिंग प्रणालियों के जरिए प्राकृतिक जल स्रोतों से जल आपूर्ति पर परियोजना प्रस्ताव (68.65 करोड़ रुपए का)।

राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) से अनुमोदन मांगने के बाद राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों/विभागों के तालमेल से स्कीमों का कार्यान्वयन करें।

(ग) और (घ) जी नहीं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत निधियों का आबंटन 2017-18 के दौरान आबंटित 6050 करोड़ रुपए (आरई) की तुलना में 2018-19 में बढ़ाकर 7000 करोड़ रुपए कर दिया गया है जो पिछले वर्ष के आबंटन से 15.83% अधिक है।